रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 452] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 13, 1972/आश्विन 21, 1894

No. 452] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 1972/ASVINA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October 1972

S.O. 655(E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Jammu and Kashmir to elect, in accordance with the provisions of the said Act and the rules and orders made thereunder, one member to fill the seat of a member of the Council of States who is retiring on the 10th November, 1972, on the expiration of his term of office.

[No. F. 13(4)/72-Leg.II.]

K. K. SUNDARAM,
Jt. Secy. & Legislative Counsel.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1972

का० आ० 655(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में राष्ट्रपति जम्मू-काश्मीर राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को, 10 नवम्बर, 1972 को निवृत्त होने वाले राज्य सभा के सदस्य की पदावधि समाप्त होने पर उसका स्थान भरने के लिए उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बने नियमों और आदेशों के अनुसरण में निर्वाचित करने के लिए समाहृत करते हैं ।

[सं० फ० 13(4)/72-विधा० II]

के० के० सुन्दरम्,
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1972